न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं.76/2014 (225 आरटीए) प्रतापसिंह वगै. बनाम श्रीमती सुशीला वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2014/00047)

1 प्रतापसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह,
2 जालमसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह,
3 गोपालसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह,
4 जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह
समस्त जातियान राजपूत निवासीगण चौपासनी जागीर, पंवार कृषि फार्म, पाल रोड, जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 श्रीमती सुशीला डोसी पत्नी श्री द्वारकादास डोसी जाति ओसवाल निवासी चौहटन रोड, बाड़मेर, हाल निवासी ई–91 शास्त्रीनगर जोधपुर।
2 रिसीवर तहसीलदार जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर दिनांक 03.07.2014 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 57/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा।
2 रेस्पो. सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 15.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 57/2014 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–अपीलांट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में प्रकरण सं. 235/2008 प्रतापसिंह वगै. बनाम सुशीला वगै. में पारित

आदेश दिनांक 19.12.2008 को संशोधित कर आराजी खसरा सं. 126 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा बाके मौजा चौपासनी जागीर बाबत रिसीवर नियुक्ति के बजाय कैश–सिक्यूरिटी पर प्रार्थीगण–अपीलांट्स के कब्जे में सुपूर्द किये जाने का आदेश जारी किया जावे एवं कैश सिक्यूरिटी जमा कराने हेतु एक माह का समय प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर तलब किया गया एवं जवाब का अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2014 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज़ मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नं. 126 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा बाके मौजा चौपासनी जागीर अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि है। खातेदार लिक्षमणसिंह के देहांत के बाद जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जागीर मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त जिलाधीश (जागीर) जोधपुर से दिनांक 09.06.1964 को प्राप्त किया गया, वह मात्र मुआवजा राशि प्राप्त करने तक ही सीमित था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिंदु पर कतई गौर नहीं किया गया। विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि झुंझारसिंह द्वारा निष्पादित बेचाननामा दिनांक 06.04.1972 बहक खींवराज पुत्र सोहनराज तकमील होना पाया गया। किंतु राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त दिनांक को झुंझारसिंह वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार ही नहीं था क्योंकि उसके पक्ष में म्यूटेशन ही दिनांक 11.05.1972 को भरा गया। जाहिर है कि उक्त दिनांक से पूर्व उसे यह भूमि बेचान करने का कोई विधिक अधिकार ही उपलब्ध नहीं था, अतः उक्त आरंभ से ही शून्य प्रभावी पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर प्रापक (रिसीवर) यानि तहसीलदार जोधपुर ने अपनी जो रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को दिनांक 26.10.2006 को प्रेषित की उसमें भी स्पष्ट अंकित किया कि रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेज के आधार पर हुई। विद्वान वकील अपीलांट्स ने यह भी जाहिर किया कि मौके पर वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के भौतिक कब्जे में हैं और पुश्तैनी कब्जा अपीलांट्स का ही है। अपीलांट्स के मकानात, साण्डघर, ट्यूबवैल आदि बने हुये हैं और परिवार सहित रिहायश है। पूर्व क्रेता खींवराज ने जो अपने पक्ष में बेचान दस्तावेज बताया है उसमें लिखित रूप में विक्रेता ने ".....मैंने मेरी निम्न हदूद की खातेदारी की जमीन खसरा सं. 126 रकबा 31 बीघा 5

15/11
राजस्व अपील प्राधिकारी

बिस्वा वाके ग्राम पाल तहसील जोधपुर में बेचान ..." करना वर्णित किया है, जबकि वादग्रस्त आराजी चौपासनी जागीर में स्थित है। विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आलोच्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या 11174/2014 प्रतापसिंह व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी इत्यादि में पारित अपने निर्णय दिनांक 05.05.2014 में स्पष्ट आदेश पारित किया है कि आलोच्य प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी आदेश किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं रहेगा। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को नजरंदाज करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों की आढ़ में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में गंभीर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की है। अंत में विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। विलंब के संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधिवक्तागण की स्वैच्छिक हड़ताल के कारण आलोच्य अपील पेश करने में कुछ दिनांक का सद्भाविक विलंब हुआ है, जो न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं हुआ।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने से विदित होता है कि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मूल वाद विचाराधीन रहते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद दिनांक 19.12.2008 को वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्ति का आदेश पारित किया, जिसके संबंध में पक्षकारान के मध्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चाराजोही का दौर चला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त रिसीवर नियुक्ति का आदेश बहाल रखा गया। ऐसी स्थिति में अब यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय अथवा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के स्तर पर किया जाता है तो जाहिर है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अप्रत्यक्षरूपेण हस्तक्षेप होगा जो किसी भी दृष्टिकोंण से उचित नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक विद्वान वकील अपीलांट्स के इस तर्क का प्रश्न है कि आलोच्य

15/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या 11174/2014 प्रतापसिंह व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी इत्यादि में पारित निर्णय अपने दिनांक 05.05.2014 में स्पष्ट आदेश पारित किया है कि आलोच्य प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय कोई भी आदेश किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं रहेगा, इस संबंध में अदालत हाजा की विनम्र राय में यह वाक्यांश मूल वाद के गुणावगुण पर निस्तारण के परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा को प्रकट करता है।

9 अपील पेश करने में हुए बिलंब को क्षमा करने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसमें बिलंब के कारण का समुचित विवरण अंकित नहीं किया गया है, मात्र वकीलों की हड़ताल अंकित किया गया है। कब से कब तक हड़ताल रही, हड़ताल के कारण कितने दिनों का बिलंब हुआ, आदि स्पष्ट विवरण उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिंदु पर ही खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2014 यथावत रखा जाता है।

15/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर